न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी	:	संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या	:	30/2025
दायर दिनांक	:	06.06.2025
निर्णय दिनांक	:	19.01.2026

1. जयसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत, निवासी बीचलवास तहसील व जिला दौसा
2. नरेन्द्रसिंह पुत्र शिवदानसिंह जाति राजपूत, निवासी बीचलवास तहसील व जिला दौसा
3. भूपेन्द्र सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत, निवासी बीचलवास तहसील व जिला दौसा
4. लाल सिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत, निवासी बीचलवास तहसील व जिला दौसा
5. सदा कंवर पत्नी हेमसिंह जाति राजपूत, निवासी बीचलवास तहसील व जिला दौसा
6. संतोष कंवर पत्नी जयसिंह जाति राजपूत, निवासी बीचलवास तहसील व जिला दौसा
7. रतनकंवर पत्नी शिवदानसिंह जाति राजपूत, निवासी बीचलवास तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 15, 16, 18, 21, 37, 32, 419/411, 420/411, 410/424 की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 15, 16, 18, 21, 37, 32, 419/411, 420/411 प्रार्थीगण के नाम संयुक्त/एकल खातेदारी में दर्ज होने का कथन किया। इसके साथ ही प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने का कथन किया।

प्रकरण में बहस पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 15, 16, 18, 21, 37, 32, 419/411, 420/411, 410/424 की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा खसरा नम्बर 15, 16, 18, 21, 37, 32, 419/411, 420/411 प्रार्थीगण के नाम संयुक्त/एकल खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता है किन्तु तहसीलदार दौसा के जवाब अथवा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर खसरा नम्बर 410/424 के खातेदारों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 18.05.2025 का अवलोकन करने पर प्रश्नगत आराजी में से मात्र खसरा नम्बर 15, 37, 32 का पूर्व में सीमाज्ञान होने की पुष्टि होती है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाना चाहिए था। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या : 30/2025
जयसिंह वगै. बनाम राज. सरकार
निर्णय दिनांक : 19.01.2026

अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 अंशतः स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बीचलवास तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 15, 37, 32 का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। संबंधित प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

19/01/26
(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)